अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941, का नियम 126)

आदेश पत्रक – सं0 ..... से ..... तक

जिला ..... सं0 ..... सन् 16 .....

केस का प्रकार .....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 179/2014

अपीलार्थी – कविता कुमारी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1038/प्रो0 दिनांक 28.02.2014 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में आरोप यह है कि राघोपुर परियोजना के केन्द्र सं0– 33 नोनिया टोला परमानंदपुर का औचक निरीक्षण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा दिनांक 28.09.2013 को 12:30 बजे दिन में किया गया। निरीक्षण के क्रम में उपस्थित 19 बच्चों में से मात्र 12 बच्चें ही पंजीकृत पाये गए, केन्द्र के बाहर नेमप्लेट नहीं था, लाभार्थी की सूची मीनू चार्ट, फलैसी बोर्ड आदि कुछ भी केन्द्र पर उपलब्ध नहीं था, तथा लगभग 2 kg चावल+दाल सब्जी मिलाकर सहायिका द्वारा पोषाहार तैयार किया जा रहा था, जो निर्धारित मात्रा से बिल्कूल कम था।

उपर्युक्त अनियमितता के आरोप में कार्यालय पत्रांक 1830/प्रो0 दिनांक 13.12.2013 से सेविका श्रीमती कविता देवी से स्पष्टीकरण की माँग की गई, दिनांक 28.12.2013 को सेविका निर्धारित तिथि को अपने स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित हुई, उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से असहमति व्यक्त करते हुए केन्द्र

की सेविका का चयन रद्द कर दिया गया, तथा यह भी निर्देशित किया कि विगत 3 माह का S.N.P वसूली भी कर ली जाय।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई, जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता /सरकारी अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष,साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत किए । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि 28.09.2013 को जितिया पर्व का दिन था, एवं उसी दिन ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा करीब 12:30 बजे दिन में केन्द्र का निरीक्षण किया गया, अपीलार्थी सेविका एवं सहायिका दोनों ही केन्द्र पर उपस्थित थी, केन्द्र खुला था ,केन्द्र पर उक्त निरीक्षण के समय 19 बच्चें आ गए थे, जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने आदेश (ज्ञापांक 1038/ प्रो0 दिनांक 28.02.2014) में लिखे हैं कि मात्र 12 बच्चें ही पंजीकृत थे जबकि शेष बच्चें 07 अपंजीकृत थे, जबकि सही बाते यह थी कि सभी बच्चें पंजीकृत थे, जिनकी उपस्थिति दर्ज थी, वे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के भय से अपना उपस्थिति बोल नहीं पाये, जिसके आधार पर मान लिया कि 12 ही बच्चें पंजीकृत थे पोषाहार बनाने का कार्य सहायिका द्वारा किया जा रहा था। जिसे निरीक्षी पदाधिकारी ने अंदाज से मात्र दो किलो चावल+दाल+सब्जी मिलाकर लिख दिया। केन्द्र पर नेम वोर्ड,लाभाथियों की सूची, मीनू फ्लैसी बोर्ड आदि अनुपलब्ध होने की बात भी बताई गई है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि निरीक्षण तिथि 28.09.2013 को ग्रामीण क्षेत्रों में जितिया पर्व था। जो प्रत्येक माँ अपने पुत्र के लिए ही करती है, तथा उक्त पर्व में मंदिर,पोखर, धर्मस्थान या कुल देवता के सांनिध्य में ही हुआ करता है, एवं उक्त पर्व में माँ बच्चों को पुजा पाठ में सम्मलित रखती है, ऐसी स्थिति में उक्त तिथि को 12:30 बजे दिन में अधिकतर बच्चें का अनुपस्थिति हो जाना स्वाभाविक है क्योंकि बच्चें लोग केन्द्र पर आकर, फिर भाग कर उक्त पर्व में अपने माँ के साथ पूजा/पाठ में भाग लेने जाते है, जिसके कारण भी लाभुक बच्चें आकर अपने माँ के साथ जितिया पर्व में भाग लेने चले गए थे। ज्ञातव्य हो कि सभी माँ जितिया पर्व अपने बेटे के लिए ही करती हैं एवं ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरा बच्चा दीधार्यु हो, उस दिन माँ 24 घंटे बिना जल/पानी पिए ही यह व्रत रखती है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने उक्त सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थिति को नजर अंदाज कर दिए जो निदंनीय एवं त्रुटिपूर्ण निर्णय है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि अपीलार्थी सेविका करीब सोलह वर्ष से कार्य कर रही है, पूर्व में विभिन्न

पदाधिकारियों ने समय–समय पर केन्द्र का निरीक्षण किया है, कभी भी कोई भी पदाधिकारी ने गलत टिप्पणी निरीक्षण पंजी में दर्ज नहीं की है, निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण के बाद 15.10.2013 को सी0डी0पी0ओ0 राघोपुर ने भी केन्द्र का निरीक्षण किया है। जिसमें उन्होंने अंकित किए है कि जाँच के समय (11:30 AM में) 30 बच्चें में 25 बच्चें ड्रेस में थे, वार्ड टंगा था, लाभार्थी की सूची प्रदर्शित था। उस दिन मीनू में रसिया दिया गया था जिसकी गुणवता अच्छी थी। यानी पन्द्रह दिनों के भीतर ही केन्द्र का संचालन सुचारूरूपेण होने लगा। उन्होंने ग्रामीणों पोषक क्षेत्र के लाभुको का बयान भी अवलोकन कराया कि किसी भी लाभुक ने यह शिकायत नहीं किया कि केन्द्र का संचालन सुचारूरूपेण अपीलार्थी कविता देवी नहीं करती है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि विभागीय मार्गदर्शिका 2012/956 दिनांक 14.03.2012 के अनुसार (iii) (i) के केन्द्र पर पाए गए हर अनियमितताओं के लिए लाभुक के तीन बयान लिए जायेंगे किन्तु यहाँ तो किसी भी लाभुको /अभिभावकों के बयान भी नहीं लिए गए। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का चयन मुक्ति आदेश त्रुटिपूर्ण है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण समय केन्द्र का खुला रहना, वह भी जितिया पर्व के दिन जो खासकर महिला ही अपने पुत्र/पुत्री के कामना के लिए करती है, अपने आप में बड़ी बात है इस व्रत में महिला निरजला बिना पानी लिए 24 घंटे के लिए करती है यह काफी कठिन पर्व है सेविका सहायिका उपस्थित एवं लाभुक बच्चें भी थे, पोषाहार बनाने की तैयारी चल रही थी, हां कुछ मात्रा कम दर्शाई गई। अतः निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के आदेश ज्ञापांक 1038/प्रो0 दिनांक 28.02.2014 के चयन मुक्ति आदेश को जो त्रुटिपूर्ण है, खंडित किया जाता है, किन्तु निम्न न्यायालय सुपौल के आदेश आर्थिक दंड पूरक पोषाहार राशि, जो 3 (तीन महीने) का है उसे कोषागार शीर्ष में जमा करने के उपरान्त ही आदेश निर्गत तिथि से सेविका के पद पर चयन बरकरार रखा जाता है।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.5.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.5.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा